



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092021-229487  
CG-DL-E-08092021-229487

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3330]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2021/भाद्र 17, 1943

No. 3330]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2021/BHADRA 17, 1943

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2021

का.आ. 3635(अ).—केंद्रीय सरकार बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात्, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड -3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्याक का.आ. 500(अ) तारीख 2 फरवरी 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्याक 39,40, और 41 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	बिक्री के लिए अनुशंसित राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
"39.	गेहूं	एनआईडीडब्ल्यू 1149 (ड्यूरम)	महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु।
40.	गेहूं	डब्ल्यूबी 02	बिहार

		( राजेंद्र गेहूं 3 )	
41.	गेहूं	डीबीडब्ल्यू 187 (करण वंदना )	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान (कोटा और उदयपुर संभाग को छोड़कर), पश्चिमी उत्तर प्रदेश (झांसी संभाग को छोड़कर)। जम्मू और कश्मीर के हिस्से (जम्मू और कठुआ जिले), हिमाचल प्रदेश के हिस्से (उना जिला और पांवटा घाटी) और उत्तराखंड ( तराई क्षेत्र)।"

[फा. सं. 3-78/2021-एसडी.IV]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव (बीज)

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE****(Department of Agriculture and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th September, 2021

**S.O. 3635(E).**— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare number S.O. 500(E), dated the 2<sup>nd</sup> February, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii).

In the TABLE of the said notification, for serial number 39,40 and 41 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

SI. No.	Kind	Variety	Recommended state for sale
(1)	(2)	(3)	(4)
“39.	Wheat	NIDW 1149 (Durum)	Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu.
40.	Wheat	WB 02 (Rajendra Gehun 3)	Bihar
41.	Wheat	DBW 187 (Karan Vandana)	Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan (except Kota and Udaipur division), Western Uttar Pradesh (except Jhansi division). Parts of Jammu and Kashmir (Jammu and Kathua Distt.), Parts of Himachal Pradesh (Una Distt. And Paonta Valley) and Uttarakhand (Tarai region).”

[F. No. 3-78/2021-SD. IV]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy. (Seeds)